

13/11/2025

पत्राली पेश हुई। वकील कमपक्ष उपस्थित।  
 बहल कमपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्राली का  
 अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act के  
 प्राप्ति की adjudicate करने के इले निम्न  
 03 बिन्दुओं पर ध्यान आवश्यक है। ग्राम  
 सेमलीभवानी तहसील रायपुर की वासुदेव माराणी  
 खाता नं 8 के खत नं 111 का प्रार्थी Recorded  
 Khatedar tenant है जिसमें अप्राथमिक का कोई  
 हक व अधिकार निहित है। ग्राम अप्राथमिक का  
 कथन किया है कि अप्राथमिक ने ना तो कभी  
 खत नं 111 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया  
 है और ना ही कभी मेट/सीमाचिह्न को लांछक  
 कर अतिक्रमण किया है बल्कि अप्राथमिक द्वारा  
 दायर प्रकरण नं 107/2024 अमान पवन पार्लिसर  
 बनाम रामगोपाल पं 251A RT के निष्पत्ति में  
 व्यवधान डालने एवं प्रतिकूल प्रभावित करने के लिए  
 यह वाद पेश किया गया। अतः स्पष्ट है कि  
 प्रकरण से याद अप्राथमिक अथवा प्रवेश या अतिक्रमण  
 या कब्जा करते हैं तो प्रार्थी को अधिक  
 असुविधा लेनी परिणामतः अपूरणीय हानि भी कारि  
 हो सकेगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर  
 प्रार्थी का प्रपत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथमिक  
 को अपने अर्थात् निषेधात्मक तालेसलामुखवास इस  
 आशय से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी  
 की ग्राम सेमलीभवानी की वासुदेव माराणी  
 खत नं 111 पर ना तो अथवा प्रवेश करे




हुक्म या कार्यवाही या भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

3

मात्र ना ही आतिश्रमण करे । पत्रावली के सल्लुमा  
होकर नम्बर से कम होकर मूलपवाड के  
साथ सल्लुन ही ।



  
13/11/2025

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)